1तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टिए/8611/2006/गंगानगर रामकुमार बनाम केशुदास	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29-10-2018	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थिति-** श्री प्रशान्त सोनी, अधिवक्ता प्रार्थी श्री अमृतपाल सिंह वानर, अधिवक्ता अप्रार्थी **निर्णय** हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम,1955) की धारा 230, के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, गंगानगर द्वारा दिनांक 12-09-2006 को प्रकरण संख्या 86/2006 शीर्षक रामकुमार बनाम केशुदास आदि में पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। हमने योग्य अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस निगरानी पर सुनी। प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष वादी/ निगराकार द्वारा प्रतिवादीगण/ वर्तमान गैर निगराकारान के विरुद्ध वादपत्र व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया, जिसमें दिनांक 2-12-2005 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई जिसे अविधिक रुप से दिनांक 31-5-2006 को खारिज किया गया। इसके विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील को भी दिनांक 12-9-2006 को गलत प्रकार से खारिज किया गया है। योग्य अधिवक्ता का बहस में मुख्य रुप से कथन है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 आपस में सगे भाई हैं और प्रश्नगत भूमि कुल रकबा 33 बीघा पैतृक भूमि रही है जिसमें से पारिवारिक विभाजन में प्रार्थी को मु0नं0 19/48 के किला नम्बर 1 ता 6 (6.00), 7(0.05) कुल 6.05 बीघा भूमि विभाजन से प्राप्त हुई है जो प्रार्थी के कब्जे काश्त में है। समस्त 33 बीघा भूमि रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या-1 के नाम होने से वे इसे बेचना चाहते हैं। पारिवारिक भूमि का यदि किसी प्रकार से अप्रार्थी पक्ष की ओर से बेचान किया जाता है तो इससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी और प्रकरण में अनावश्यक रुप से मुकदमेबाजी बढेगी। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने न्यायिक विवेक का सदुपयोग किये बिना ही अपने निर्णय पारित किये हैं जब कि प्रार्थी का घोषणा, स्थाई व्यादेश व विभाजन का वाद अभी	

1 तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टिए/8611/2006/गंगानगर रामकुमार बनाम केशुदास	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधीनस्थ न्यायालय में विचारणीय है। अतः इस प्रकार की स्थिति में प्रकरण में निहित विवादित आराजी को संरक्षित रखा जाये और निगरानी को स्वीकार कर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त किया जाये और प्रार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 212 को स्वीकार किया जाए। अप्रार्थीगण पक्ष के योग्य अभिभाषक का बहस में कथन है कि वादी द्वारा जो वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 प्रस्तुत किया गया है, उसे परीक्षण न्यायालय ने गुणावगुण पर सुनवाई कर खारिज किया है और अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी इस निर्णय को पुष्ट किया हैं। अतः अधीनस्थ दोनें न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में निगरानी के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप सम्भव नहीं है। योग्य अधिवक्ता का कथन रहा है कि प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थी का ना तो किसी प्रकार का भौतिक रुप से कब्जा है और ना ही प्रार्थी खातेदार काश्तकार हैं। अप्रार्थी प्रश्नगत भूमि का अभिलिखित खातेदार होने से, खातेदार काश्तकार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थी प्रश्नगत भूमि को बॅटवारे में अपने कब्जे में आने का कथन करते हैं किन्तु किसी प्रकार का विधिक बॅटवारा होने के बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः निगरानी सारहीन है, जिसे खारिज किया जाये। अभिभाषक उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2060-63 मु0नं0 19/48 के किला नम्बर 1 ता 25, मु0नं0 19/21 के किला नम्बर 11, 20, 21, 22, मु0नं0 19/55 के किला नम्बर 16, 17, 24, 25 “केशुदास वल्द कुशलदास कौम स्वामी खातेदार” अंकित है। प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि को पैतृक भूमि बताते हुये विभाजन में प्रश्नगत भूमि मु0नं0 19/48 के किला नम्बर 1 ता 6 (6.00), 7(0.05) कुल 6.05 बीघा अपने कब्जे में आना बताते हुये, इस भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया है। किन्तु जैसा कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड से सुस्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि प्रार्थी के खातेदारी में अंकित नहीं हो कर अप्रार्थी संख्या-1 के खातेदारी में अंकित है और प्रार्थी द्वारा इस आशय की कोई	

1तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टिए/8611/2006/गंगानगर रामकुमार बनाम केशुदास	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है कि विभाजन में मु0नं0 19/48 के किला नम्बर 1 ता 6 (6.00), 7(0.05) कुल 6.05 बीघा प्रार्थी के हिस्से, कब्जे काश्त में आये हैं। अतः प्रार्थी प्रश्नगत भूमि का अभिलिखित खातेदार साबित नहीं होने से, अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपरमित क्षति, प्रार्थी के बजाये अप्रार्थी के पक्ष में साबित होते हैं। अप्रार्थी अभिलिखित खातेदार होने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने प्रकरण में तथ्यात्मक रुप से विवेचन करते हुये, निर्णय पारित किये हैं। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से, निगरानी के माध्यम से इन निर्णयों में हस्तक्षेप न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः निगरानी सारहीन पाये जाने से **खारिज** की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	